

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक/जीविवि./स्ट्रॉगरूम/गोप./2021/294

दिनांक...2/6/2021

// सूचना //

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या

शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,

जिला, - ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर।

विषय:- संग्रहण केन्द्रों द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर की उ.पु. मूल्यांकन के पारिश्रमिक बिलों का भुगतान कराने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपको स्नातक/स्नातकोत्तर की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने हेतु नियुक्त किया गया था, जिनके पारिश्रमिक बिल ऑनलाइन के माध्यम से जमा किये गये थे उनमें कुछ त्रुटिया थी, अतः अपरिहार्य कारणों से सत्र 2019-2020 के पारिश्रमिक बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त लिंक से अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य संशोधित बिल जनरेट कर बिलों पर शिक्षक/प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं सील लगाकर 7 दिवस में विश्वविद्यालय पुनः भेजने का कष्ट करें जिससे बिलों का भुगतान किया जा सके।

साथ ही आपको सूचित किया जाता है कि किसी प्रश्न-पत्र के दो या तीन खण्ड को अलग-अलग प्रश्न-पत्र न मानकर केवल एक ही प्रश्न का माना जाये तथा एक ही पारिश्रमिक बिल प्रस्तुत करें।



परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. वित्त नियंत्रक, लेखा विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. प्रभारी वेब साइट की ओर सूचनार्थ इस पत्र को विश्वविद्यालय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

सहा./उप-कुलसचिव (गोपनीय)